

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

पूरे राज्य में अवस्थित विभिन्न नगर निकायों में विभिन्न सामग्रियों एवं सेवाओं की आपूर्ति की दर/गुणवत्ता में एकरूपता लाने के उद्देश्य से बिहार शहरी विकास अभिकरण (BUDA) को बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2005 के नियम-129 के अंतर्गत राज्य के विभिन्न नगर निकायों के लिए उपयोग में आने वाली सामग्रियों एवं सेवाओं के दर निर्धारण एवं अधिप्राप्ति हेतु "राज्य क्रय संगठन" नामित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०-

(रबीन्द्र पर्वार)

सचिव (संसाधन)

ज्ञापांक - एम.4-05/2009(खंड) -

वि०(२)पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, पटना वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०-

(रबीन्द्र पर्वार)

सचिव(संसाधन)

ज्ञापांक - एम.4-05/2009(खंड) -

वि०(२)पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(रबीन्द्र पर्वार)

सचिव(संसाधन)

ज्ञापांक - एम.4-05/2009(खंड) - 8672 वि०(२)पटना, दिनांक- 11.9.09

प्रतिलिपि : सभी प्रधान सचिव/ सचिव/ सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी जिलाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(रबीन्द्र पर्वार)

सचिव (संसाधन)